महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

कार्यवृत्त

विद्या परिषद् की 74वीं बैठक

दिनांक

22 सितम्बर, 2023

स्थान

बृहस्पति भवन

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय

अजमेर ।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

विद्या परिषद् की 74वीं विशेष बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

विद्या परिषद् की 74वीं विशेष बैठक दिनांक 22.09.2023 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबन्ध बोर्ड कक्ष मे सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. प्रो. अनिल कुमार शुक्ला, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो. ऋतु माथुर, संकायाध्यक्ष-स्नातकोत्तर अध्ययन	सदस्य
3. प्रो. सुब्रतो दत्ता, संकायाध्यक्ष-महाविद्यालय एवं विभागाध्यक्ष-रिमोट सेंसिंग एण्ड जियो-इन्फोरमेटिक्स विभाग एवं पर्यावरण अध्ययन विभाग	सदस्य
4. प्रो. शिव प्रसाद, संकायाध्यक्ष-प्रबन्ध अध्ययन संकाय, संकायाध्यक्ष-छात्र कल्याण तथा विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध अध्ययन विभाग	सदस्य
5. प्रो. आशीष भट्नागर, संकायाध्यक्ष-विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग	सदस्य
6. प्रो. शिव दयाल सिंह, संकायाध्यक्ष-समाज विज्ञान संकाय विभागाध्यक्ष-अर्थशास्त्र विभाग	सदस्य
7. प्रो. एस.वी. शर्मा, संकायाध्यक्ष-शिक्षा संकाय	सदस्य
8. प्रो. शमा खान, संकायाध्यक्ष-कला संकाय	सदस्य
9. डॉ. दुष्यन्त त्रिपाठी, संकायाध्यक्ष-ललित कला संकाय	सदस्य
10.प्रो. नीरज भार्गव, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर साईंस विभाग	सदस्य
11.प्रो. भारती जैन, विभागाध्यक्ष, खाद्य विज्ञान एवं पोषण विभाग	सदस्य
12.प्रो. रीटा मेहरा, विभागाध्यक्ष, शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनशास्त्र विभाग	सदस्य
13.प्रो. अरविन्द पारीक, विभागाध्यक्ष- वनस्पतिशास्त्र विभाग	सदस्य
14.डॉ0 सिस्टर पर्ल, प्राचार्य सोफिया कॉलेज, अजमेर ।	सदस्य
15.कुलसचिव	सदस्य-सचिव

<u>बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित नहीं हुए:-</u>

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर ।	सदस्य
2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर ।	सदस्य
3. डॉ. विभा शर्मा, संकायाध्यक्ष-विधि संकाय	सदस्य
4. डॉ. लक्ष्मीकांत शर्मा, संकायाध्यक्ष-वाणिज्य संकाय	सदस्य
5. प्रो. सुभाष चन्द्र, विभागाध्यक्ष, प्राणीशास्त्र विभाग	सदस्य
6. डॉ. अमित गुप्ता, सह-आचार्य, वनस्पतिशास्त्र विभाग, विश्वविद्यालय साईंस कॉलेज, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।	सदस्य
7. मोहम्द ईदरिश खान, प्राचार्य, स्टार इन्फोटेक कॉलेज, देवली जिला-टौंक।	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने विद्या परिषद् के सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय के द्वारा कुलसचिव महोदया को विद्या परिषद की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया:-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं0 01	विद्या परिषद की 73वी बैठक दिनांक 04.09.2023 के मद संख्या 7(3) पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में शिक्षक भर्ती हेतु तैयार की गई विज्ञप्ति तथा आवेदन पत्र के ले आउट को सर्क्यूलेशन के माध्यम से विद्या परिषद के समस्त सदस्यों को पत्र क्रमांक एफ.( )संस्था/ मदसविवि/ 2023/2899 दिनांक 15.09.2023 के माध्यम से (ई-मेल) अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया । प्रेषित पत्र के क्रम में विद्या परिषद के 09 सदस्यों से प्राप्त विभिन्न सुझावों **(कार्यसूची का परिशिष्ट-1)** पर विचार कर निर्णयार्थ प्रस्तुत है।	शैक्षणिक-I
निर्णय	उक्त मद पर विद्या परिषद् के द्वारा गहन विचार-विमर्श किया गया तथा निम्नानुसार निर्णय लिये गये:- 1. विद्या परिषद् के सदस्यों को सर्कुलेशन के माध्यम से दिनांक 15.09.2023 को शिक्षक भर्ती हेतु तैयार किये जा रहे आवेदन-पत्र के नियम एवं शर्तो तथा आवेदन-पत्र के ले-आउट के प्रारूप को प्रेषित कर उस पर सुझाव आमंत्रित किये गये । आवेदन-पत्र की नियम एवं शर्तो तथा आवेदन-पत्र के ले-आउट पर प्रो. रीटा मेहरा, प्रो. शिव प्रसाद, प्रो. नीरज भार्गव एवं प्रो. भारती जैन से सुझाव प्राप्त हुए । उक्त सुझावों पर पर चर्चा कर आवेदन-पत्र के नियम एवं शर्तो तथा ले-आउट के प्रारूप पर बिन्दुवार चर्चा की गयी तथा निम्नानुसार स्वीकार किया गया:-	

बिन्दु सं.	सुझाव/निर्णय
01 से 04	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 01 से 04 पर चर्चा की गयी ।
निर्णय	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 01 से 04 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत स्वीकार किया गया ।
05	उक्त बिन्दु पर प्रो. रीटा मेहरा, प्रो. शिव प्रसाद एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा ने सुझाव दिया कि:- In place of "a),..... b),....and c) ....." " 10 full papers and may be added other papers also " should be

			mentioned followed by d) and e) . 2. प्रो. शिव प्रसाद ने सुझाव दिया कि:- attach their best 5 original published full papers with the application forms' which is essential for the appointment of associate professor so only front page and other is not sufficient. 3. प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- It will be a good practice if the full paper will be uploaded. Point No. d & e should be as it.		
		निर्णय	उक्त सुझावों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यू.जी.सी. के दिशा निर्देशों के अनुरूप सह आचार्य के पद के अभ्यर्थी के द्वारा कम से कम अपने 07 श्रेष्ठ (best) पूरे प्रकाशन (full paper/ publication)अपलोड किये जायेंगे तथा शेष प्रकाशनों हेतु पूर्व में वर्णित ए से डी बिन्दु को इंगित करते हुए उनके मुख्य पृष्ठ या किसी अन्य पृष्ठ जो रिसर्च स्कोर के लिए जरूरी हो, को अपलोड करेंगे । परन्तु साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी प्रकाशित पूर्ण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा । सहायक आचार्य पद के अभ्यर्थी अपने पूर्ण प्रकाशित पत्र अपलोड कर सकते है । परन्तु साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को अपने सभी प्रकाशित पूर्ण पत्रों को प्रस्तुत करना होगा ।		
		06 से 07	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 06 से 07 पर चर्चा की गयी ।		
		निर्णय	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 06 से 07 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत स्वीकार किया गया ।		
		08	बिन्दु संख्या 08 पर प्रो. रीटा मेहरा, प्रो. शिव प्रसाद एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1- प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- Addition of ".....hard copy of the duly forwarded application form must be submitted before or at the time of interview (if called for).....applied for". The portion in inverted commas implies extension of date beyond the set deadline, hence should be deleted. Only "No Objection Certificate from the earlier employer" can be submitted before or at the time of interview. 2- प्रो. शिव प्रसाद ने सुझाव दिया कि:- At the place of hard copy of the duly forwarded application		

			only "No Objection Certificate" should be appropriate as it would not create any confusion in the mind of others as advance copy he/she has already sent. 3- प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- No Objection Certificate from the earlier employer can be submitted before or at the time of interview.	
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि - **The candidates who are already employed should apply through the proper channel. However, they may submit an advance copy to meet the deadline set for receiving the applications. The No Objection Certificate of the employer, if not produce at the time of the date of application, then it must be submitted compulsorily at the time of interview citing reference of application form no. and post applied for. Except NOC, no new/ additional document will be entertained.**	
		09	बिन्दु संख्या 09 पर प्रो. रीटा मेहरा, प्रो. शिव प्रसाद एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा ने सुझाव दिया कि:- the portion " and/or management and/or software development or management etc.", should be deleted as it is not a part of UGC Regulation and we cannot modify UGC Regulations, 2018. 2. प्रो. शिव प्रसाद ने सुझाव दिया कि:- This conditions was not in 2016 and not in consonance of UGC regulation so may be avoided, otherwise indicate misleading purpose as far as my knowledge is concerned. 3. प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- The highlighted portion should be omitted since it is not in the UGC Regulations 2018.	
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर **and/or management and/or software development or management etc.** को डिलिट करने का निर्णय लिया गया ।	
		10	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 10 पर चर्चा की गयी ।	
		निर्णय	**नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत स्वीकार किया गया ।**	

		11	बिन्दु संख्या 11 पर प्रो. रीटा मेहरा, प्रो. शिव प्रसाद एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- The existing term and condition No.11 is in sheer ignorance and utter violation of UGC Regulation No.10 on Page 94 of the UGC regulations 2018". It should be written as - For posts having experience as an essential requirement the candidate must submit experience Certificate in consonance with services prescribed under UGC Rule No.10 on Page 94 of the UGC regulations 2018 i.e. Certificates or documents in support of experience should be in proper format i.e. it should be on the organisation's letter head , bear the date of issue, indicate specific period of work, name and designation of employee/teacher, pay band with basic salary and AGP in earlier pay scale and /or in Pay level/Matrix in current pay scales etc. issued by the employer, failing which the same will not be considered. Certificate should also be supported by annexing a copy of Appointment Order, which would corroborate the manner of appointment and the pay grade in which appointed with or without D.A. 2. प्रो. शिव प्रसाद ने सुझाव दिया कि:- It should be mentioned as per UGC RuleNo. 10 page 94 of UGC regulation 2018. This was not in 2016 terms and conditions. 3. प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- In compliance of UGC Regulation 2018 Rule No. 10 on page No. 94, the candidate must submit the experience certificate indicating nature of appointment and consisting of pay band with basic salary and AGP or pay level in the current pay scale along with the emoluments.		
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर निर्णय लिया गया कि - "अभ्यर्थी के पूर्व अनुभव का आंकलन **UGC Rule No.10 on Page 94 of the UGC regulations 2018** के आधार पर		

				किया जायेगा ।" इसके बाद यू.जी.सी. की शर्तें टंकित की जाय तथा नियुक्ति पत्र की प्रति भी अभ्यर्थी से मांगी जाय ।	
			12 से 13	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 12 एवं 13 पर चर्चा की गयी ।	
			निर्णय	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 12 एवं 13 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत स्वीकार किया गया ।	
			14	विन्दु संख्या 14 पर प्रो. रीटा मेहरा एवं प्रो. शिव प्रसाद से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- After (iii).....required documents "(iv) not accompanied with fee receipt (v) having fresh documents/papers/enclosures submitted after last date" should be added. Because if fresh documents/enclosures are allowed after last date that defeats the very purpose of giving the date in Terms and Conditions No.12 as well as Terms and Conditions No.6. 2. प्रो.शिव प्रसाद ने सुझाव दिया कि:- in case the information/documents are found to be false/incorrect by way of omission or commission, the responsibility and liability shall be solely with the candidate and his/her services shall be terminated without prejudice to any other action that may be initiated by the University should be mentioned necessarily.	
			निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा की गयी तथा निर्णय लिया गया कि शिक्षक भर्ती हेतु डिजिटल आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जा रहे है इसलिए अंतिम तिथि के पश्चात् अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन-पत्र भरना संभव नहीं है । साथ ही शुल्क प्राप्त होने पर ही आवेदन-पत्र भरा जा सकेगा, इसलिए रसीद की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः उक्तानुसार बिन्दु संख्या 14 को संशोधित किया जाय साथ ही इस बिन्दु में **"no fresh documents/papers/enclosures can be submitted by the candidate after the last date of submission of application in hard copy except NOC where applicable."** को शामिल किया जाय । (प्रो. शिव प्रसाद के सुझाव पर निर्णय बिन्दु संख्या 19 पर लिया गया है ।)	

		15 से 17	बिन्दु संख्या 15 से 17 पर प्रो. शिव प्रसाद से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 15 and 17 should be specifically mentioned in the present form of terms and conditions.	
		निर्णय	उक्त सुझाव पर विचार-विमर्श कर यथावत स्वीकार किया गया ।	
		18	बिन्दु संख्या 18 पर प्रो: रीटा मेहरा एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- In the end after ....time of appointment it should be added as "or at any time during the tenure of service" which would also be consistent with the existing Terms and Conditions used for Selections held in 2016. 2. प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- A sentence may be added as "or at any time during the tenure of service."	
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर बिन्दु संख्या 18 को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:- **The University shall verify the antecedents or documents submitted by a candidate at the time of interview, at the time of appointment and at any time during the tenure of service.**	
		19	बिन्दु संख्या 19 पर प्रो. रीटा मेहरा एवं प्रो. शिव प्रसाद से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- In the second line after candidate it should be written as "and his/her services shall be terminated without prejudice to any other action that may be initiated by the university". This would be consistent with proposed declaration of the candidate to be incorporated in application form. 2. प्रो. शिव प्रसाद ने सुझाव दिया कि:- in case the information/documents are found to be false/incorrect by way of omission or commission, the responsibility and liability shall be solely with the candidate and his/her services shall be terminated without	

			prejudice to any other action that may be initiated by the University should be mentioned necessarily.		
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर बिन्दु संख्या 19 को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:- **In case the information/documents are found to be false/incorrect by way of omission or commission, the responsibility and liability shall lie solely with the candidate and his/her candidature/services will be terminated without prejudice to any other action that may be initiated by the University following natural justice of being heard.**		
		20	बिन्दु संख्या 20 पर प्रो. रीटा मेहरा एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- The order vide which reservation on posts has been done in the advertisement alongwith the provision of Rajasthan Universities Teachers' and Officers (Selection for Appointment) Act should be clearly stated and elaborated as in existing Terms and Conditions used for Selections in 2016. 2. प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- The terms & Conditions may be used as per the selection procedure held in 2016.		
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर बिन्दु संख्या 19 को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:- **Reservations for the posts are as prescribed by the date of advertisement by Department of Personnel, Government of Rajasthan.**		
		21	बिन्दु संख्या 21 पर प्रो. रीटा मेहरा से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- The restriction on number of children for eligibility in Government service be elaborated as in existing Terms and Conditions used for Selections in 2016 for clear understanding of the applicants as this information would be of significance in filling of online application		

			form and would avoid any controversy in scrutinizing the applications.	
		निर्णय	उक्त सुझाव पर चर्चा कर बिन्दु संख्या 21 को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:- **The directions of the Department of Personnel, Government of Rajasthan restricting eligibility based on number of children the applicant has, are also applicable.**	
		22 से 29	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 22 से 29 पर चर्चा की गयी ।	
		निर्णय	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 22 से 29 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत स्वीकार किया गया ।	
		30	बिन्दु संख्या 30 पर प्रो. रीटा मेहरा से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- It be reworded as –The University reserves the right to take any additional appropriate step(s) to streamline the process of selection, besides the steps announced in these Terms and conditions.	
		निर्णय	उक्त सुझाव पर चर्चा कर बिन्दु संख्या 30 को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:- **The University reserves the right to take any additional appropriate step(s) to streamline the process of selection besides those stated in these Terms and Conditions.**	
		31 से 34	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 31 से 34 पर चर्चा की गयी ।	
		निर्णय	नियम एवं शर्तो के बिन्दु संख्या 31 से 34 में उल्लेखित प्रावधानों को यथावत स्वीकार किया गया ।	
		35	बिन्दु संख्या 30 पर प्रो. रीटा मेहरा एवं प्रो. नीरज भार्गव से निम्नानुसार सुझाव प्राप्त हुए:- 1. प्रो. रीटा मेहरा ने सुझाव दिया कि:- The probation period and the amount of fixed renumeration to probationer trainee of around Rs42,250/- in case of Assistant Professor and around Rs One Lakh in case of Associate Professor should be mentioned	

			as prescribed by the Government. To add to it the Pay Matrix of posts to be filled should be added in this term and condition. 2. प्रो. नीरज भार्गव ने सुझाव दिया कि:- The probation period and the amount of fix remuneration to the probationer trainee may be as per Govt. of Rajasthan Schedule IV, Rule 12.		
		निर्णय	उक्त सुझावों पर चर्चा कर बिन्दु संख्या 35 को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:- **The selected candidates will be appointed on probation. The probation period and the amount of fixed remuneration to the probationer trainee will be as per the norms and directions of the Government of Rajasthan and the MDS University, Ajmer.**		
		अन्य सुझाव	प्रो. रीटा मेहरा के द्वारा निम्नलिखित अन्य शर्तो को जोड़ने का सुझाव दिया गया:- It should be added in Terms and Conditions that- "If any applicant has not acquired the educational qualification viz. Secondary, Higher Secondary, Senior Secondary, Graduation and or Post-Graduation in the prescribed number of years for that Certificate or Degree, his candidature would not be considered as the University wants to select the best candidates."		
		निर्णय	उक्त सुझाव पर विचार-विमर्श कर उक्त सुझाव को नियम एवं शर्तो में नहीं जोडने का निर्णय लिया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने "परिशिष्ट-" के अनुसार **Note of dissent** दिया ।		
		अतिरिक्त सुझाव	प्रो. रीटा मेहरा ने अतिरिक्त सुझाव दिया कि - As regards advertisement is concerned, the criteria for categorizing posts of the departments to different categories has not been circulated to AC Members, so it may be circulated now so as to understand and give comments on assigning different categories to the posts of Assistant Professor and Associate Professor in different departments. However, it must be consistent with the reservation announced in earlier advertisement in 2016 and advertisement thereafter for different subjects .In 2016 two posts of Professor out of four have already been filled. Thus there remain two posts of Professor in		

-	Unreserved Category, thirteen posts of Associate Professors in Unreserved Category and Five Posts of Assistant Professor in Unreserved Category remain to be filled. The change of categorization may result in unnecessary complications.
निर्णय	उक्त सुझाव पर विचार-विमर्श कर आरक्षण हेतु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।
Annexure-III	प्रो. भारती जैन ने **Annexure-III** के संबंध में सुझाव दिया कि- Instead of 203 it should be 2023 in Appendix-III.
निर्णय	उक्त सुझाव पर विचार-विमर्श कर स्वीकार किया गया ।
	आवेदन-पत्र के संबंध में प्राप्त सुझाव एवं निर्णय
1.	प्रो. रीटा मेहरा ने आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 01 के संबंध में सुझाव दिया कि- The online application form should be modified in accordance with above changes suggested in terms and conditions
निर्णय	उक्त सुझाव पर चर्चा कर सर्वसम्मति से आवेदन-पत्र में बदलाव हेतु विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया ।
2.	प्रो. रीटा मेहरा ने आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 02 के संबंध में सुझाव दिया कि- In the end of the application form the declaration should be the same which each State University takes from applicants for the post of Vice Chancellor. This might have been approved by the Chancellor as it is common for all the State Universities. It reads as follows :"I solemnly/declare affirm that- **1.** The particulars furnished by me in the said application form are correct and I have not concealed and misrepresented facts in it. 2. I am a person of good conduct and uphold principles of academic integrity. 3. I also declare and fully understand that in the event of any information furnished being found false or incorrect at any stage, my application/ candidature is liable to be summarily rejected at any stage, and if, I am already appointed my services are liable to be terminated without any notice from the post of Assistant Professor/Associate Professor/ Professor as per Act and Statutes and other applicable rules..
निर्णय	उक्त सुझाव पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से घोषणा-पत्र को निम्नानुसार स्वीकार किया गया:-

			I have read the applicable guidelines which are binding. I do hereby solemnly declare that the information given, the statements made and documents uploaded with this application from are correct and true to the best of my knowledge, understanding and belief. I also declare that I am a person of good conduct and uphold principles of academic integrity. If any information given by me in this application is found to be false or misleading, my candidature is liable to be cancelled and I may be subjected to legal/disciplinary proceedings.		
		आवेदन-पत्र पर सुझाव एवं निर्णय	घोषणा-पत्र के अलावा प्रो. रीटा मेहरा के आवेदन-पत्र पर अंकित सभी सुझावों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया परन्तु पी.एचडी. एवं एम.फिल. की सूचना में **Year of Registration and Year of Submission** जोडने के सुझाव की जगह मात्र **Year of Award** का कॉलम रखने का निर्णय लिया गया । प्रो. रीटा मेहरा ने "परिशिष्ट-क" के अनुसार **Note of dissent** दिया । आवेदन-पत्र के प्रारूप में यू.जी.सी. रेगुलेशन, 2018 एवं राज्य सरकार के द्वारा जारी भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन करने की सहमति जतायी गयी ।		
	2. शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पूर्व, शिक्षक भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित समिति लिखित में यह घोषणा करे कि शिक्षक भर्ती हेतु प्रस्तावित किये गये नियम एवं शर्तें तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन, 2018 एवं विद्या परिषद् की 74वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 के निर्णय संख्या 01 पर निर्णित बिन्दुओं और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किये गये भर्ती नियमों के अनुरूप है । 3. राज्य सरकार से प्रस्तावित रोस्टर के अनुमोदन के पश्चात्, रोस्टर के अनुरूप पदों का वर्गीकरण करने और उक्त वर्गीकरण के अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।		

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया गया ।

कुलपति

कुलसचिव

"परिशिष्ट-क"

Note of Dissent on Agenda Item No. 1 in Special Meeting of AC (74th AC Meeting) on 22.9.2023:

I submit my note of dissent on:

1. Terms and Conditions should have incorporated that "If any applicant has not acquired the educational qualification viz. Secondary, Higher Secondary, Senior Secondary, Graduation and Post-Graduation in the prescribed number of years for that Certificate or Degree, his candidature would not be considered as the University wants to select the best candidates. Since it has not been incorporated, I submit my Note of Dissent.

2. It was required to add Column of Date of Registration in the Application Form in the Column of Research Guidance at Point 4.4. (a) . This has not been incorporated. Hence, I submit my Note of Dissent.

22.9.2023